न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथुसिंह राठौड आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 168/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
नारायणलाल पुत्र वगताजी माली आयु 49 वर्ष जाति माली पेशा खेती निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही (राज.)		1– गणेशराम पुत्र तलसारामजी मेघवाल आयु वयस्क जाति मेघवाल पेशा खेती निवासी आमली रोड तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही (राज.) 2– राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सिरोही (राज.)

उपस्थित :–

1– प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री ऋषि माथुर

2– अप्रार्थी संख्या 1 एक की ओर से विद्वान वकील श्री नरेन्द्र चारण

3– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधि वास्ते . खातेदारी कृषि भूमि मे से कृषि कार्य हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत

निर्णय दिनांक 02–02–2018

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.काश्त.अधि.1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के विरूद्ध वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे से कृषि कार्य करने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 06–10–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व ग्राम माण्डवा पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित है जिसके खसरा नंबरान निम्न प्रकार से है :–

क्रं.सं.	खसरा संख्या		रकबा
1.	190 879	एक सौ नब्बे आठ सौ नवासीस	01.6100 हैक्टेयर
	कुल खसरा संख्या 1 एक		रकबा 01.6100 हैक्टेयर ''

उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी और कब्जे काश्त की कृषि भूमि रही है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर पिछले कई वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी के लिए उसके खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता अंकित नही है जिससे प्रार्थी उसके खातेदारी की कृषि भूमि में खसरा संख्या 191,197 की भूमि में से (सलग्न नक्शे में वर्णित A to B रास्ते से) पिछले कई वर्षो से आता जाता रहा है और उक्त A to B रास्ते का उपभोग कई वर्षो से करता आ रहा है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त भाग रास्ते के रूप में अंकित नही होने से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी लाने ले जाने हेतु कई बार समस्याओ का सामना करना पडता है, प्रार्थी मध्यम वर्ग का काश्तकार वयक्ति है जिनके पुरे परिवार का भरण पोषण उक्त कृषि भूमि की आय से होता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपनी

आवागमन हेतु रास्ता अंकित नहीं होने से प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने और काश्त में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा हैं। रास्ते के अभाव में प्रार्थी कई बार अपनी आराजी पर नहीं पहुँच पाता हैं जिससे उनकी फसले जल जाती हैं और पशुओं को भी कई बार पानी,चारे के अभाव में राते गुजारनी पडती हैं इसी कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थी की ओर से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी का उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपने खातेदारी और कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 191,197 की कृषि भूमि में दर्शाए संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार मार्क A to B हिस्से मे 12 फिट चौडा और मौके अनूसार लम्बे रास्ते को नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता अंकित किए जाने के आदेश पारित करना फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 152की जमाबन्दी संवत 2072 से 2076 तथा अप्रार्थी संख्या 1 एक गणेशराम के खातेदारी के खाता संख्या 318 की जमाबन्दी संवत 2072 से 2076 व नक्शा ट्रेस का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से दिनांक 26.10.2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 21.11.2017 को अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल पत्रावली किया गये तथा पक्षकारान ने जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे पर्याप्त अवसर चाहने से समय दिया गया ।

विचारण प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 13.11.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा जवाब प्रस्तुत किया, अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का स्वीकार करते हुए अपने जवाब में निवेदन किया की माननीय न्यायालय प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 191 में से सलग्न नक्शे में वर्णित A to B हिस्से से रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ती नही है। नियत पेशी दिनांक 19.12.2017 को अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिए क्रमांक/रीडर/2017/1161 दिनांक 12.12.2017 को जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे यह कथन किया की प्रार्थी के नाम मौजा माण्डवा पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खसरा संख्या 190/879 रकबा 01.6100 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी में अंकित है और खसरा संख्या 191 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 एक के खातेदारी में अंकित है जिनके जमाबन्दीयो की नकले जवाब के साथ संलग्न है। प्रार्थी अपने खातेदारी की कृषि भूमि पर आवागमन खसरा संख्या 191 और 197 की कृषि भूमि पर से ही करता है जिसे संलग्न नक्शे में वर्णित A to B हिस्से से दर्शाया गया है। प्रार्थी ने खसरा संख्या 191 और 197 में से 12 फिट चौडा और नाप अनुसार लम्बे रास्त की मांग की गई है जिससे खसरा संख्या 197 मे से 120 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा अर्थात 120X4 = 480 वर्ग मीटर यानी 0.0480 हैक्टेयर और खसरा संख्या 191 मे से 36 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा अर्थात 36X4 = 144 वर्ग मीटर यानी 0.0144 हैक्टेयर रास्ता दिया जा सकता है। अर्थात प्रार्थी के लिए खसरा संख्या 197 और 191 मे से कुल भूमि 0.0480 +0.0144 = 0.0624 वर्ग मीटर भूमि वैकल्पिक रास्ते के रूप में काम मे आवेगी।

दिनांक 30.01.2018 को विचारण प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.काश्त.अधि.1955 पर इस न्यायालय में वकील प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 एक तथा अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट पैरोकार सरकार की अन्तिम बहस रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार

हमने विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली के संलग्न प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय संलग्न फार्म न. 3 में वर्णित प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व सलग्न प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 152 की जमाबन्दी संवत 2072 से 2076 तथा अप्रार्थी संख्या 1 एक गणेशराम के खातेदारी के खाता संख्या 318 की जमाबन्दी संवत 2072 से 2076 व नक्शा ट्रेस गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के आधार पर प्रार्थी के अपने खातेदारी भूमि मे कृषि कार्य हेतु आने जाने, मवेशी बैलगाडी व ट्रेक्टर लाने ले जाने, फसल बोने, सिचाई कार्य हेतु रास्ते का अभाव होना सिद्ध है अतः तहसीलदार सिरोही द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शीत प्रस्तावित रास्ते की भूमि को वैकल्पिक रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 197 और 191 मे से 12 फिट चौडे रास्ते की मांग की है अर्थात खसरा संख्या 197 मे से 120 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा अर्थात 120X4 = 480 वर्ग मीटर यानी 0.0480 हैक्टेयर और खसरा संख्या 191 मे से 36 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा अर्थात 36X4 = 144 वर्ग मीटर यानी 0.0144 हैक्टेयर रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी के लिए रास्ते के रूप में काम आवेगा। प्रस्तावित रास्ते की भूमि गैरमुमकीन सार्वजनिक रास्ते के लिए स्वीकृत की जाती है। प्रस्तावित उक्त रास्ते की भूमि सार्वजनिक रास्ते के लिए राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावे। उक्त स्वीकृत की गई रास्ते की भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है।

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मते राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 कि उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के तुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

अतः अप्रार्थी संख्या 1 गणेशराम के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 191 रकबा 0.3200 हेक्टेयर में से 36 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा अर्थात 36X4 = 144 वर्ग मीटर यानी 0.0144 हैक्टेयर और अप्रार्थी संख्या 2 दो के खाते मे दर्ज खसरा संख्या 197 रकबा 04.1800 हेक्टेयर में से 120 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा अर्थात 120X4 = 480 वर्ग मीटर यानी 0.0480 हैक्टेयर कुल भूमि 0.0480 +0.0144 = 0.0624 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के रूप में उक्तानुसार कीमत अवधारित की जाकर प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित उक्त कृषि भूमि के खातेदार क्रमशः गणेशराम पुत्र तलसारामजी मेघवाल, निवासी आमली रोड पिण्डवाडा, और राजस्थान राज्य को उपरोक्त राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार सिरोही को राजस्व रेकर्ड मे किस्म गै.मु.रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

02/2/18

(नाथुसिंह राठौड)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 02.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया

02/2/18

(नाथुसिंह राठौड)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही